Crim-1

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

उनवान *तहसीलदार बनाम संतोष देवी* *किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र 136*

मुकदमा नम्बर 601/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2025	आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय रिपोर्ट एवं सम्बन्धित दस्तावेजात के तहसीलदार निवाई की ओर से प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के आवेदन का अवलोकन किया जिसमें अंकितानुसार ख0नं0 792/1 रकबा 10.15 बीघा जमाबन्दी में दर्ज रिकॉर्ड है, परंतु राजस्व रिकॉर्ड में दो जगह प्रार्थी का कब्जा है, जिसको भू–सुधारशीट में ख0नं0 792/1/1 व 792/1/2 से अंकित किया गया था, परंतु जमाबन्दी में उक्त आराजी के दो टुकड़े नहीं किये गये हैं। अतः प्रार्थी द्वारा वर्तमान जमाबन्दी में ख0नं0 792/1 को शीट में रकबा अनुसार दो टुकड़े किये जाने का निवेदन किया है, जिससे ख0नं0 की मौके कब्जा अनुसार तरमीम हो सके। वाके ग्राम जोधपुरा पटवार हल्का जोधपुरा व भू0अ0नि0 वनस्थली द्वारा भी उपरोक्तानुसार ख0नं0 के टुकड़े किये जाने को उचित बताया है। तहसीलदार निवाई द्वारा पटवार हल्का जोधपुरा व भू0अ0नि0 वनस्थली की रिपोर्ट को अभिषंशित कर भिजवाया गया है। ऐसे में न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार निवाई/पटवार हल्का जोधपुरा एवं भू.अ.नि. वनस्थली की रिपोर्ट के आलोक में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उपर्यूक्त वर्णित भूमि ख0नं0 792/1 को शीट में रकबा अनुसार दो टुकड़े किया जाकर पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	